# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

**(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)**
**प्रकरण संख्या – 96/2017 अपील**

भूरा पिता छोगा मीणा निवासी अखेराम जी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

**बनाम**

1. कालू पिता भागूता मीणा निवासी अखेराम जी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
2. तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।

–अपीलाथी

– प्रत्यर्थीगण

**अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार जहाजपुर नामान्तरण संख्या 1834 दिनांक 21.10.2016 अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट**

उपस्थित –
1. श्री नवरतन जोशी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री रमेश चेचाणी अधिवक्ता– रेस्पोडेण्ट सं. 01 की ओर से

# निर्णय

दिनांक 20.12.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार सहाडा के प्रकरण सं. 1834 निर्णय दिनांक 21.10.2016 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 17/2015 अपील नामान्तरण दिनांक 20.11.2015 द्वारा तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या 33/2011 निर्णय दिनांक 18.05.2015 द्वारा पारित उक्त आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार जहाजपुर को इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया जाकर अपीलार्थी कालू वास्तव में भागूता का पुत्र है अथवा छोगा का। प्रकरण में विधिक वारिसान के बारे में ग्राम पंचायत से व अन्य तथ्यों से / दस्तावेजी साक्ष्य से गवाहों से समुचित रूप से जांच कर, बाद जांच प्रकरण में नियमानुसार नामान्तरण कार्यवाही बाबत अजसिरे नव निर्णय पारित किया जाने हेतु रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ, जिस पर तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनांक 01.07.2016 को निर्णय पारित कर नामान्तरण संख्या 1834 दिनांक 21.10.2016 को खोला गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना न कर निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को न तो सम्मन जारी किये गये न ही सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व गवाहों का समुचित अवलोकन नहीं किया। प्रत्यर्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड के द्वारा अपना पक्ष नही रखा। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सजरे का भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित जांच नहीं

की गयी। नामान्तरण संख्या 1533 में भी एल.आर. खजूरी की जांच में भी सजरा कालू का गलत बताया गया व नामान्तरण के पीछे गिरदारवर खजूरी/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट में भागूता का पुत्र कालू होने का कोई सबूत नहीं होना जाहिर किया। जिससे भी नामान्तरण संख्या 1834 अपास्त किये जाने योग्य है व भागूता की मृत्यु के उपरान्त भागूता की भूमि पर अपोलार्थी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है व अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयानों का समुचित अवलोकन नहीं किया, जिन्होने धूला के 4 पुत्र होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें न तो तलब किया गया न ही उनसे किसी प्रकार की जांच की। कालू द्वारा स्वयं को भागूता का पुत्र होना बताया है तो उसने छोगा की भूमि में किस आधार पर अपना नाम लिखा रखा है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया, जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 1834 दिनांक 21.10.2016 को अपास्त कराया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नव सिरे से निर्णय पारित किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 09.10.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 कानून मियाद अधिनियम अपील के साथ मय शपथ पत्र पेश किया।

रेस्पोडेण्ट की ओर से अपीलार्थीगण के धारा 05 कानून मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिस अनुसार इस न्यायालय के प्रकरण स. 17/2015 को दिनांक 05.11.2015 को रिमाण्ड करने के बाद तहसीलदार जहाजपुर के यहां की समस्त कार्यवाही की प्रार्थी को पूर्ण जानकारी रही हैं। नामान्तरकरण की नकल प्रार्थी को दिनांक 25.09.2017 को प्राप्त हो गयी तो इसके तत्काल बाद ही अपील पेश नहीं करने यानि दिनांक 25.09.2017 से अपील पेश करने दिनांक 04.10.2017 तक के विलम्ब का कोई समुचित कारण स्पष्ट नहीं किये जाने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मियाद अधिनियम को खारिज कराय जाने की प्रार्थना की गयी।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम को दिनांक 19.08.2019 को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 17/2015 अपील नामान्तरण दिनांक 20.11.2015 द्वारा तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या 33/2011 निर्णय दिनांक 18.05.2015 द्वारा पारित उक्त आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार जहाजपुर को इन

निर्देशो के सथ रिमाण्ड किया जाकर अपीलार्थी कालू वास्तव में भागूता का पुत्र है अथवा छोगा का। प्रकरण में विधिक वारिसान के बारे में ग्राम पंचायत से व अन्य तथ्यों से / दस्तावेजी साक्ष्य से गवाहों से समुचित रूप से जांच कर, बाद जांच प्रकरण में नियमानुसार नामान्तरण कार्यवाही बाबत अजसिरे नव निर्णय पारित किया जाने हेतु रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ, जिस पर तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनांक 01.07.2016 को निर्णय पारित कर नामान्तरण सख्या 1834 दिनांक 21.10.2016 को खोला गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना न कर निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को न तो सम्मन जारी किये गये न ही सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व गवाहों का समुचित अवलोकन नहीं किया। प्रत्यर्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड के द्वारा अपना पक्ष नही रखा। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तु सजरे का भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समचित जांच नहीं की गयी। नामान्तरण संख्या 1533 में भी एल.आर. खजूरी की जांच में भी सजरा कालू का गलत बताया गया व नामान्तरण के पीछे गिरदारवर खजूरी/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट में भागूता का पुत्र कालू होने का कोई सबूत नहीं होना जाहिर किया। जिससे भी नामान्तरण संख्या 1834 अपास्त किये जाने योग्य है व भागूता की मृत्यु के उपरान्त भागूता की भूमि पर अपोलार्थी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है व अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयानों का समुचित अवलोकन नहीं किया, जिन्होने धूला के 4 पुत्र होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें न तो तलब किया गया न ही उनसे किसी प्रकार की जांच की। कालू द्वारा स्वयं को भागूता का पुत्र होना बताया है तो उसने छोगा की भूमि में किस आधार पर अपना नाम लिखा रखा है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया, जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 1834 दिनांक 21.10.2016 को अपास्त कराया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नव सिरे से निर्णय पारित किये जाने का आदेश प्रदान करें। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील के समर्थन में विधिक दृष्टान्त पेश किये जो क्रमशः आर आर टी 2011(2) जसवन्त सिंह बनाम श्रीमती लेहर कंवर एवं आर आर टी 2002 (1) स्टेट ऑफ राज बनाम श्योचन्द व अन्य पेश किये।

रेस्पोडेण्ट सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम खजूरी के नामान्तरकरण संख्या 1834 दिनांक 21.10.2016 तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या 78/2015 दिनांक 01.07.2016 के आधार पर स्वीकृत किया गया जो नियमानुसार हैं। अपीलार्थी की अपील खारिज करायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिस उपरान्त पाया गया कि ग्राम खजूरी के नामान्तकरण संख्या 1533 में भागूता पिता धूला की विरासत कालू पिता भागूता के नाम पर दर्ज किया जिसे तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनांक 09.08.2010 को खारिज किया गया। इस नामान्तरकरण की अपील कालू पिता भागूता मीणा ने न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में प्रस्तुत की, जिसके प्रकरण संख्या 37/2011 दायर होकर निर्णय दिनांक 29.07.2011 से अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण

संख्या 1533 दिनांक 09.08.2010 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जहाजपुर को रिमाण्ड किया गया। इस पर तहसीलदार जहाजपुर ने प्रकरण संख्या 33/2011 दायर कर सुनवाई कर दिनांक 08.05.2015 को निर्णय पारित किया। इस प्रकरण/ निर्णय की अपील कालू पिता भागूता मीणा ने न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में प्रस्तुत की, जिसके प्रकरण संख्या 17/2015 दायर होकर निर्णय दिनांक 05.11.2015 पारित किया। जिसमें तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण/ निर्णय दिनांक 08.05.2015 को निरस्त कर तहसीलदार जहाजपुर को रिमाण्ड किया। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार जहाजपुर ने प्रकरण संख्या 78/2015 दायर कर सुनवाई कर निर्णय दिनांक 01.07.2016 को पारित किया जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 1834 दिनांक 21.10.2016 से भागुता पिता धूला की विरासत कालू पिता भागुता के नाम पर स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1834 तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या 78/2015 दिनांक 01.07.2016 के आधार पर स्वीकृत किया गया। भूरा पिता छोगा मीणा ने तहसीलदार जहाजपुर के नामान्तरकरण सं. 1834 दिनांक 21.10.2016 की अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। ग्राम खजूरी में भागुता पिता धूला मीणा की विरासत के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 1533 दिनांक 09.08.2010 एवं 1834 दिनांक 21.10.2016 के निर्णय होने पर उक्त नामान्तरकरण की अपील इस न्यायायालय में दर्ज होकर भी प्रकरण संख्या 37/2011 निर्णय दिनांक 29.07.2011 एवं प्रकरण संख्या 17/2015 दिनांक 05.11.2015 को निर्णित की जा चूकी हैं, इसके उपरान्त भी तीसरी बार अपील प्रस्तुत की गयी हैं, जबकि अपीलार्थी को तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या 78/2015 दिनांक 01.07.2016 की अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। अपीलार्थी ने अपील के साथ प्रकरण संख्या 78/2015 दिनांक 01.07.2016 की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत नही की है। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग होती हैं एवं म्यूटेशन अपील Summary Proceeding हैं, जिसके माध्यम से हक व अधिकार का निर्धारण नही किया जा सकता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील पूर्वोक्त निर्णयों के मध्येनजर स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

## आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(राकेश कुमार)**
**अति. जिला कलक्टर**
**भीलवाड़ा**



Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.12.20 18:47:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: